

कार्यालय आदेश सं० ५११३

श्री सुनील कुमार, ईएसएम-1/छपरा को पी.एम.ई जांच प्रमाण पत्र सं० वि/05 दिनांक 07.02.2017 के अनुसार वमंचिधि/ वाराणसी द्वारा बी-1 एवं बी-2 मेडिकल श्रेणी मे अयोग्य परन्तु सी-1 एवं सी-2 के योग्य घोषित किया गया है, जिसके क्रम मे मंरेप्र(सिग एवं दू.संचार) का पत्र सं. दिनांक 20.03.2017 को सक्षम अधिकारी के पास प्रस्तुत किया गया, जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा विश्रेणीकृत श्री सुनील कुमार को अन्य पद पर समाहरण होने तक अधिसंख्य पद पर कार्य हेतु समंसिदूई/छपरा के अंतर्गत सम्बद्ध किया जाता है। समाहरण होते ही उक्त अधिसंख्य पद स्वतः समाप्त हो जायगा।

उपर्युक्त पर वमंसिदूई/वारा. का आदेश प्राप्त है।

कृते मरेप्र(कार्मिक)
वाराणसी

सं. का/परि/पीसी/सुनील कुमार
प्रतिलिपि :-

दिनांक : 05.04.2017

1. वमंसिदूई/मंसिदूई/वारा. ।
2. समंसिदूई/छपरा/वारा. ।
3. सीसेई/सिग/छपरा ।
4. संबंधित कर्मचारी/एम.पी.पी.सेल/वारा. ।
5. मंडल मंत्री नरमू/अजा.अजजा.एसो.वारा. ।

५११३
कृते मरेप्र(कार्मिक)
वाराणसी